



142

श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश केम्प उज्जैन संभाग उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2015-16

निग - 2038-P/2016

1. प्रेमसिंह पिता घीसूसिंह, आयु-45 वर्ष,  
धंधा-कृषि,
2. महेन्द्र सिंह पिता घीसूसिंह, आयु-40 वर्ष,  
निवासीगण-लसूडियाकेलवा तहसील नलखेडा  
जिला आगर म.प्र.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

शशिकला पुरोहित पति गिरीराज पुरोहित,  
निवासी-ग्राम लसूडियाकेलवा तहसील नलखेडा  
जिला आगर हा.मु.नलेखडा जिला आगर (म.प्र.)

..... प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री जे.गुप्त/2016/14  
द्वारा प्रस्तुत  
दिनांक 31/6/16  
अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय  
उज्जैन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959  
अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त क्र.1 नलखेडा जिला आगर  
के प्रकरण क्र. 39/अ-12/2015-16 में प्रदत्त अंतिम आदेश दिनांक  
04.05.2016 के विरुद्ध

माननीय महोदय,

आवेदकगण (निगरानीकर्ता) की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत

है :-

-:: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ::-

यह कि, ग्राम लसूडियाकेलवा तहसील नलखेडा जिला आगर म.प्र. में एक कृषि खाता सर्वे क्रमांक 537 रकबा 1.11 हे. सर्वे क्रमांक 538 रकबा 0.22 हे. व सर्वे क्रमांक 552 रकबा 0.94 हे. है जो कि अनावेदक शशिकला के नाम पर दर्ज है। इसके पास से लगी हुई निगरानीकर्ता की कृषि भूमि स्थित है जो कि सर्वे क्रमांक 535 मीन 1 निगरानीकर्ता महेन्द्र पिता घीसूसिंह के नाम पर है एवं 535 मीन 2 निगरानीकर्ता प्रेमसिंह पिता घीसूसिंह निगरानीकर्तागण के नाम पर दर्ज है। अनावेदक शशिकला ने अपने नाम की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2038-पीबीआर/16

जिला - आगर मालवा

स्फुट एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जे.एस. गौरव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	